MS-TP/DY-TU-16

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2016

INCOME-TAX

S.O. ___(E).— In exercise of the powers conferred by sections 192, 200 and 206C, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force from the 1st day of June, 2016.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), after rule 26B, the following rule shall be inserted, namely:-

"**26C. Furnishing of evidence of claims by employee for deduction of tax under section 192.**— (1) The assessee shall furnish to the person responsible for making payment under sub-section (1) of section 192, the evidence or the particulars of the claims referred to in sub-rule (2), of the Table below, in Form No.12BB for the purpose of estimating his income or computing the tax deduction at source.

(2) The assessee shall furnish the evidence or the particulars specified in column (3), of the Table below, of the claim specified in the corresponding entry in column(2) of the said Table:—

Sl. No	Nature of claims	Evidence or particulars
(1)	(2)	(3)
1.	House Rent Allowance.	Name, address and permanent account number of the landlord/landlords where the aggregate rent paid during the previous year exceeds rupees one lakh.

PS
29/4

2.	Leave travel concession or assistance.	Evidence of expenditure.
3.	Deduction of interest under the head "Income from house property".	Name, address and permanent account number of the lender.
4.	Deduction under Chapter VI-A.	Evidence of investment or expenditure.".

3. In the said rules, in rule 30,—

(a) in sub-rule (2A), for the words "seven days", the words "thirty days" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the portion beginning with the word "shall" and ending with the words " has been credited", the following words, figures, letter and brackets shall be substituted, namely:-

"shall submit a statement in Form No. 24G to the agency authorised by the Principal Director of Income-tax (Systems) in respect of tax deducted by the deductors and reported to him.";

(c) after the sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4A) Statement referred to in sub-rule (4) shall be furnished—

(a) on or before the 30th day of April where the statement relates to the month of March; and

(b) in any other case, on or before 15 days from the end of relevant month.

(4B) Statement referred to in sub-rule (4) shall be furnished in the following manner, namely:-

(a) electronically under digital signature in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5);

(b) electronically alongwith the verification of the statement in Form 27A or verified through an electronic process in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5).

(4C) The persons referred to in sub-rule (4) shall intimate the number (hereinafter referred to as the Book Identification Number) generated by the agency to each of the deductors in respect of whom the sum deducted has been credited.";

(d) for sub-rule(5), the following rules shall be substituted, namely:-

"(5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing and verification of the statements and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing of the information and verification of the statements.".

4. In the said rules, in rule 31A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Statements referred to in sub-rule (1) for the quarter of the financial year ending with the date specified in column (2) of the Table below shall be furnished by the due date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

Table

Sl. No.	Date of ending of quarter of financial year	Due date
(1)	(2)	(3)
1.	30th June	31st July of the financial year
2.	30th September	31st October of the financial year
3.	31st December	31st January of the financial year
4.	31st March	31st May of the financial year immediately following the financial year in which the deduction is made".

"

5. In the said rules, in rule 37CA,—

(a) in sub-rule (3), for the portion beginning with the word "shall" and ending with the words " has been credited", the following words, figures, letter and brackets shall be substituted, namely:-

"shall submit a statement in Form No. 24G to the agency authorised by the Principal Director of Income-tax (Systems) in respect of tax collected by the collectors and reported to him.";

(b) after sub-rule (3),the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(3A) Statement referred to in sub-rule (3) shall be furnished—

(a) on or before the 30th day of April where the statement relates to the month of March; and

(b) in any other case, on or before 15 days from the end of relevant month.

(3B) Statement referred to in sub-rule (3) shall be furnished in the following manner, namely:-

(a) electronically under digital signature in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (4);

(b) electronically along with the verification of the statement in Form 27A or verified through an electronic process in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (4).";

(c) for sub-rule(4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing and verification of the statements and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing of the information and verification of the statements.".

6. In the said rules, in Appendix II,—

(a) after Form 12 BA, the following form shall be inserted, namely:-

"FORM NO.12BB
(*See* rule 26C)

Statement showing particulars of claims by an employee for deduction of tax under section 192

1. Name and address of the employee:
2. Permanent Account Number of the employee:
3. Financial year:

Details of claims and evidence thereof			
Sl. No.	Nature of claim	Amount (Rs.)	Evidence / particulars
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	House Rent Allowance: (i) Rent paid to the landlord (ii) Name of the landlord (iii) Address of the landlord (iv) Permanent Account Number of the landlord Note: Permanent Account Number shall be furnished if the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees		

2.	Leave travel concessions or assistance		
3.	Deduction of interest on borrowing: (i) Interest payable/paid to the lender (ii)Name of the lender (iii) Address of the lender (iv) Permanent Account Number of the lender (a) Financial Institutions(if available) (b) Employer(if available) (c) Others		
4.	Deduction under Chapter VI-A (A) Section 80C,80CCC and 80CCD (i) Section 80C (a) .... (b) .... (c) .... (d) .... (e) .... (f) .... (g) .... (ii) Section 80CCC (iii) Section 80CCD (B) Other sections (e.g. 80E, 80G, 80TTA, etc.) under Chapter VI-A. (i) section................... (ii) section................... (iii) section.................. (iv) section................... (v) section...................		
	Verification		
	I,......................,son/daughter of............................ do hereby certify that the information given above is complete and correct.		
	Place.. ...		
	Date.. ...	(Signature of the employee)	
	Designation	Full Name:..................”;	

(b) in the Form No. 24G, in point 7, under the heading "Details of State", after Tamil Nadu at serial number 31 and before Tripura at serial number 32, the figures, letter and word "31A. Telangana" shall be inserted;

(c) in Form No. 24Q, in Annexure-II, after entry 356, the following shall be inserted, namely:-

"357	In case of House Rent Allowance claim-Name and Permanent Account Number of the landlord if aggregate payment during the previous year exceeds rupees one lakh
358	In case of deduction of interest under the head "Income from House property" – Name and Permanent Account Number of the lender (if available)";

(d) in Form No. 26Q, in the Annexure, in Notes, in point 7, under the heading "List of section codes is as under", before section 193, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3
"192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A";

(e) in Form No. 27Q, in the Annexure, in Notes, in point 4, under the heading "List of section codes is as under", before section 194E, following shall be inserted:—

1	2	3
"192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A".

[Notification No.30/2016, F.No.142/29/2015-TPL]

29/4/2016

(PITAMBAR DAS)
DIRECTOR (TAX POLICY AND LEGISLATION)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O.----- (E), dated the 28/04/2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 अप्रैल, 2016

आय-कर

का.आ._____(अ).-- केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 192, धारा 200 और धारा 206ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 26ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**26ग. धारा 192 के अधीन कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा दावों के साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना-** (1) निर्धारिती अपनी आय का प्राक्कलन करने या स्रोत पर कटौती की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, प्ररूप सं. 12खख में, नीचे सारणी के उप नियम (2) में निर्दिष्ट दावों का साक्ष्य या विशिष्टियां धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा ।

(2) निर्धारिती उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दावे की, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य या विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा :--

क्रम संख्या	दावे की प्रकृति	साक्ष्य या विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	मकान किराया भत्ता	भू स्वामी/भू स्वामियों का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक जहां पर पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है
2.	छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता	व्यय का साक्ष्य
3.	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती	उधार देने वाले का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक
4.	अध्याय 6-क के अधीन कटौती	विनिधान या व्यय का साक्ष्य

3. उक्त नियम के नियम 30 में,-

(क) उक्त नियम (2क) में "सात दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" रखे जाएंगे;

(ख) उक्त नियम (4) में "के जमा खाते में" शब्दों के साथ आरंभ होने वाले और "सूचित करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"कटौतीकर्ताओं द्वारा कटौती किए गए और उसे रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्रधान निदेशक, आय कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को प्ररूप संख्या 24छ में विवरणी प्रस्तुत करेगा";

(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4अ) उप नियम (4) में निर्दिष्ट विवरणी –

(क) जहां विवरणी मार्च के मास से संबंधित है, वहां 30 अप्रैल को या उसके पहले प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) अन्य किसी दशा में सुसंगत मास के अंत से पंद्रहवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।

(4आ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट विवरणी निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

(क) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रोनिक रूप से ;

(ख) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलेक्ट्रोनिक रूप से या इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित रूप में ।

(4इ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक कटौतीकर्ता, जिसके संबंध में कटौती की गई राशि जमा की गई है, को अभिकरण द्वारा उत्पन्न संख्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् बही पहचान संख्या कहा गया है) सूचित करेंगे ।";

(घ) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) प्रधान महानिदेशक, आयकर प्रणाली विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और उनके सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा विवरणियों की जानकारी और उनका सत्यापन प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रति दिन प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

4. उक्त नियम के नियम 31क में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विवरणियां विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक दी जाएगी:

सारणी

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तारीख	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई
2.	30 सितंबर	वित्तीय वर्ष की 31 अक्तूबर
3.	31 दिसंबर	वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी
4.	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की जाती है, के

		तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 31 मई।"।

5. उक्त नियम के नियम 37गक में,-

(क) उक्त नियम (3) में "जमा करने के लिए उत्तरदायी है" शब्दों के साथ आरंभ होने वाले और "सूचित करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"प्रधान निदेशक आय कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहीत कर और उसे रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्ररूप संख्या 24छ में विवरणी जमा करेगा ।";

(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3अ) उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणी-

(क) जहां विवरणी का संबंध मार्च के मास से है वहां 30 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) अन्य किसी दशा में सुसंगत मास के अंत से पंद्रहवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी ।

(3आ) उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणी निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

(क) उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ;

(ख) उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से या इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित रूप में";

(ग) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और उनके सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा सूचना देने और विवरणियों के सत्यापन के संबंध में दिन प्रति दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

6. उक्त नियम के परिशिष्ट 2 में,-

(क) प्ररूप 12खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप सं. 12खख
(नियम 26ग देखिए

धारा 192 के अधीन कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा दावों की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

1. कर्मचारी का नाम और पता:
2. कर्मचारी का स्थायी लेखा संख्यांक:
3. वित्तीय वर्ष:

दावे और उनके साक्ष्य के विवरण			
क्र.सं.	दावे की प्रकृति	रकम (रुपए में)	साक्ष्य/विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मकान किराया भत्ता (i) भू-स्वामी को संदत्त किराया (ii) भू-स्वामी का नाम (iii) भू-स्वामी का पता (iv) भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्यांक टिप्पण: स्थायी लेखा संख्यांक तब दिया जाएगा जब पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है ।		
2.	छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता		
3.	उधार पर ब्याज की कटौती (i) उधार देने वाले को संदेय /संदत्त रकम		

	(ii) उधार देने वाले का नाम (iii) उधार देने वाले का पता (iv) उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक (क) वित्तीय संस्था (यदि उपलब्ध हो) (ख) नियोजक (यदि उपलब्ध हो) (ग) अन्य		
4.	अध्याय 6-क के अधीन कटौती (अ) धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ (i) धारा 80ग (क) ----------- (ख) ----------- (ग) ----------- (घ) ----------- (ड.) ----------- (च) ----------- (छ) ----------- (ii) 80गगग (iii) 80गगघ (आ) अध्याय 6क के अधीन अन्य धाराएं (अर्थात् 80ड., 80छ, 80ननक, आदि) (i) धारा ----------- (ii) धारा ----------- (iii) धारा -----------		

	(iv) धारा ----------- (v.) धारा -----------		
	सत्यापन मैं...........पुत्र/पुत्री.............यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है ।		
	स्थान:................		
	तारीख:..................	(कर्मचारी के हस्ताक्षर)	
	पदनाम:..............................	पूरा नाम.......................... ”;	

(ख) प्ररूप संख्या 24छ के बिंदु 7 में, “राज्यों का विवरण” शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या 31 पर, तमिलनाडु के पश्चात् और क्रम संख्या 32 पर, त्रिपुरा से पहले “31क तेलंगाना” अंक, अक्षर और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) प्ररूप संख्या 24थ के उपाबंध 2 में, प्रविष्टि 356 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

“357	मकान किराया भत्ता दावे की दशा में- भू-स्वामी का नाम और स्थायी लेखा संख्यांक यदि पूर्व वर्ष के दौरान कुल संदाय एक लाख रुपए से अधिक है ।
358	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती की दशा में उधार देने वाले का नाम और स्थायी लेखा संख्यांक (यदि उपलब्ध हो)”;

(घ) प्ररूप संख्या 26थ के उपाबंध के टिप्पणों के बिंदु 7 पर “धारा कोड की सूची निम्नानुसार है” शीर्षक के अधीन धारा 193 से पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात.

1	2	3
“192क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क”;

(ड.) प्ररूप संख्या 27थ के उपाबंध के टिप्पणों के बिंदु 4 में “धारा कोड की सूची निम्नानुसार है” शीर्षक के अधीन, धारा 194ड. से पहले, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

1	2	3
“192क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क”।

[अधिसूचना सं. ...30......2016, फा.सं. 142/29/2015-टीपीएल]

पीताम्बर दास

(पीतांबर दास)

निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सं. का.आ. (अ), तारीख. 28/04/2016 द्वारा संशोधन किए गए ।